ONE RUPEE ONE RUPEE ONE RUPEE COURT FEE FIVE RUPEES COURT FEE FIVE RUPEES INDIA

05/13:

नकल आदेश दिनांक 03-10-15 वाद संख्या 653/1 20150 4602067331 पं० गजराज शुक्ल मसा० चन्देलीपुर सम्मौर बनाम उ० प्र० सरकार अंतर्गत धारा 143 ज० वि० अधि० ग्राम चन्देलीपुर परगना मीरानपुर तह० सदर जिला सुल्तानपुर। न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर सुल्तानपुर। तारीख फैसला 03-10-15

नोट - नकल आदेश की छायाप्रति प्रतिलिपि के साथ संलग्न है

(21)

# न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर सुलतानपुर।

वाद संख्या 653 T201504680067331

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0
ग्राम– चन्देलेपुर, परगना– मीरानपुर,
तहसील– सदर, जिला– सुलतानपुर

पं0 गजराज शुक्ल महा0चन्देलेपुर धम्मौर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

## निर्णय

प्रस्तुत पं0 गजराज शुक्ल महाविद्यालय चन्देलेपुर धम्मौर सुलतानपुर द्वारा प्रबन्धक सुरभि शुक्ला ने गाटा सं0 298ड़ व 298ग रकबा 1.012हे0 स्थित ग्राम चन्देलेपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर जिला सुलतानपुर के सम्बन्ध में धारा 143 ज0वि0अ0 के अन्तर्गत घोषित करते हुए अकृषिक प्रख्यापित किये जाने की याचना किया है। पत्रावली स्थलीय आख्या हेतु तहसील भेजी गयी। तहसील से विस्तृत एवं नियम 135 ज0वि0अ0 के प्रारूप पर आख्या संलग्न पत्रावली है। तहसील आख्या में नायब तहसीलदार ने यह दर्शाया है कि वाद भूमि वादिनी के नाम संक्रमणीय भूमिधर अकिंत है। वाद भूमि मे परती है वाद भूमि के दोनों तरफ महाविद्यालय का निर्माण हुआ है। जिसमें कृषि कार्य नही हो रहा है। जिसे तहसीलदार सदर द्वारा दिनांक 01.10.2015 को संस्तुति सहित आख्या प्रेषित किया गया है।

मैने पत्रावली में उपलब्ध तहसील आख्या, उद्धरण खतौनी सन 1422–1427 फ0 की खाता सं0 126 ग्राम चन्देलेपुर, विकय पत्र की छायाप्रति का विधिवत अवलोकन एवं परीक्षण किया तथा वादिनी को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध उद्धरण खतौनी को देखने से स्पष्ट है कि वाद भूमि वादिनी के नाम संकमणीय भूमिधर अंकित है। तहसील आख्या को देखने से स्पष्ट है कि वाद भूमि को मौके पर परती है एवं वाद भूमि के दोनों तरफ महाविद्यालय का निमार्ण हुआ है, वाद भूमि में कृषि कार्य नही हो रहा है। अतः वाद भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा नही प्रतीत होती है।

## आदेश

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचंन के आलोक में आदेश किया जाता है कि उद्धरण खतौनी सन 1422–1427 फ0 की खाता संख्या 64 की गाटा सं0 298ड. व खाता संख्या 126 की गाटा संख्या 298ग कुल 2 किता रकबा 1.012हे0 स्थित ग्राम चन्देलेपुर परगना मीरानपुर तहसील सदर ज़िला सुलतानपुर को अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है। तद्नुसार उद्धरण खतौनी के आदेश की प्रविष्टि वाले कालम में अंकित होता रहेगा जो आगे बनने वाली खतौनियों में भी अंकित होता रहेगा। वाद भूमि भू–राजस्व से मुक्त हो। आदेश की प्रति उप निबन्धक सदर को भेजी जाए। बाद परवाना अमलदरामद पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांक–

(रतिभान वर्मा) 3.10.15
उप जिलाधिकारी सदर,
सुलतानपुर।

प्रबन्धक
कामायनी महिला महाविद्यालय समिति
अलियाउरदेई अलीगंज, सुलतानपुर

5262.
08/10/15